



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना


पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2014/231

दायर दिनांक 27.10.2014

वादी	प्रतिवादीगण
1. मंगलाराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी घितावा तहसील कुचामनसिटी जिला-नागौर, राजस्थान।	1. घेवरकंवर पत्नी स्व० हरिसिंह 2. पीरसिंह पुत्र स्व० तख्तसिंह 3. गुमानकंवर पत्नी स्व० तख्तसिंह 4. रतनसिंह पुत्र स्व० मोरसिंह 5. मोबसिंह पुत्र स्व० मोरसिंह 6. प्रतापसिंह पुत्र स्व० मोरसिंह 7. पदमसिंह पुत्र स्व० मोरसिंह 8. दरियाव कंवर पुत्री स्व० मोरसिंह 9. प्रहलादसिंह पुत्र स्व० गुमानसिंह 10. धनसिंह पुत्र स्व० गुमानसिंह 11. छगनकंवर पुत्री स्व० गुमानसिंह 12. मानकंवर पत्नी स्व० गुमानसिंह 13. भोजराजसिंह पुत्र स्व० किशोरसिंह 14. महेपतसिंह पुत्र स्व० किशोरसिंह 15. दिग्विजय सिंह पुत्र स्व० किशोरसिंह 16. अंतर कंवर पत्नी स्व० किशोरसिंह 17. रेनु कंवर पुत्री स्व० किशोरसिंह 18. शिवपालसिंह पुत्र बगतावरसिंह 19. सदा कंवर पत्नी स्व० बगतावरसिंह 20. मंवर कंवर पत्नी स्व० सायरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बेगसर तहसील डीडवाना 21. हडमान पुत्र मूला 22. हुक्मा पुत्र मूला 23. लिछमण पुत्र मूला समस्त जाति मेघवाल निवासीगण बेगसर 24. तहसीलदार, डीडवाना

बनाम्


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 2014/231
 दायर दिनांक 27.10.2014, अंतिम निर्णय दिनांक 06.06.2017
 मंगलाराम बनाम घेवरकंदर, वगैरा।

दावा बाबत
 घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
 अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. पक्षकारान् उपस्थित।


--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 06.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद वेगसर के खेत खसरा नम्बर 159 रकबा 30 बीघा 06 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज है। सहखातेदार दर्ज होने के कारण उनका बन्टवारा बाबत वाद प्राथमिक डिक्री सादिर कर तहसीलदार डीडवाना को विभाजन प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार, डीडवाना ने मजमें आम में मौके पर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तावित किया। वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज हैं तथा तहसीलदार डीडवाना विभाजन प्रस्तावित करने में सक्षम प्राधिकारी है। अतःएव तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वाद को अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद वेगसर के खेत खसरा नम्बर 159 रकबा 30 बीघा 06 बिस्वा का बाईमीट्स एण्ड वाउण्ड्स से बन्टवारा कर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव में वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकार्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


 (उत्तमसिंह शंखबेठार
 डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-वेगसर

अंतिम निर्णय आज दिनांक 06.06.2017 को कोर्ट
 कैम्प-वेगसर में सुनाया गया।


 (उत्तमसिंह शंखबेठार
 डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-वेगसर

अंतिम डिगरी व मुकदमा में इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जावता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2014/231

दायर दिनांक 27.10.2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मंगलाराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर		1. घेवरकंवर पत्नी स्व० हीरसिंह जाति राजपूत निवासी वेगसर वगैराह तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत
रेकॉर्ड दुरस्ती, घोषणा खातेदारी, बन्तवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 06.06.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई पक्षकारान् उपस्थित ओर मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर सरहद वेगसर के खेत खसरा नम्बर 159 रकबा 30 बीघा 06 बिस्वा का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्तवारा कर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव में वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमा में के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसवत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प-वेगसर

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प-वेगसर